न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/6ए/08/2018

राजस्थान सरकार जरिये सुरेशचन्द कृषि अधिकारी(फसल)एवं उर्वरक कीटनाशी व बीज निरीक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि बयाना

......प्रार्थी

बनाम

1–मै. Jai K Bio Agritake Plot No.50 Jaora Road Near Bridge Ratlam(MP)
2–मै0 विकास एग्रोटेक इन्डस्ट्रीज कुरडिया प्लेस, पानी की टंकी के पास, गायत्री नगर अजमेर रोड़ ब्यावर, जिला अजमेर। जीएटी नम्बर 08ACLPJ4500BIZ4
3–मै. Jai K Bio Agritake Plot No.15 Jawahar Nagar Mungaska Delhi Road Alwar जीसीटी नम्बर 08AALFJI636 NIZX.
4–ट्रक संख्या RJ36 GA 2177 के मालिक एवं ड्राईवर ।

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित ।

उपस्थित :–
1– पेरोकार रसद कृषि विभाग उपस्थित,

निर्णय दिनांक 31.1.2023

प्रार्थी की ओर यह प्रार्थना पत्र. धारा 6ए ईसी एक्ट इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.10.2018 को नकली खाद से भरा हुआ ट्रक आने की सूचना पर कस्बा वैर बस स्टैण्ड क पास मौहल्ला विचपुरी पट्टी वैर बयाना रोड़ पर मंगतूराम कमानी बैल्डिग्स वर्क्स के पास स्थित खाली प्लॉट में एक ट्रक संख्या आरजे 36 जीए 2177 खड़ा हुआ था जो मिटटी में धंसा हुआ था। इस ट्रक में से कुछ माल 160 कटटे व 42 थैली श्री राकेश पुत्र भूषण शर्मा निवासी वैर ने अपने लिए उतरवाये थे। ड्राईवर से माल के कागजात मांगे तो ड्राईवर ने एक ब्लिटी झालाना ट्रासंपोर्ट कम्पनी अजमेर रोड ब्यावर की बिल्टी संख्या 1336 दिनांक 3.10. 2018 एक टैक्स इनबाईस बिल मै0 विकास एग्रोटेक इन्डस्ट्राल कुरडिया प्लेस, पानी की टंकी के पास, गायत्री नगर अजमेर रोड ब्यावर जिला अजमेर का एकएक बिल संख्या 741033076151 दिनांक 3.10.2018 प्रस्तुत की। बिल के अनुसार माल का मिलान करने पर पाया कि बिल में माल का नाम Soil Conditioners लिखा था जब कि ट्रक में भरे माल/कटटों पर Jai K Asardar Organic Soil Composed Granules कार्बनिक खाद लिखा था तथा बिल के अनुसार खरीददार Jawahar Nagar Mungaska Delhi Road Alwar था तथा डैसटिनेशन भुसावर व वैर दर्शा रखा

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

है। बिल के अनुसार मा की कीमत 3100 रुपये प्रति टन यानि कि 155रुपये प्रति कटटा है जब कि कटटों पर अंकित विक्रय मूल्य 1050 रुपये हैं कय मूल्य व विक्रय मूल्य में भारी अन्तर है जिससे किसानों के साथ धोखाधडी एवं किसानों से अधिक कीमत वसूलने की नीयत से किया गया है। उक्त बिल / टैक्स इनवाइस एवं बिल्टी के अनुसार माल मिलान नहीं होने पर उक्त उर्वरक (गाडी में भरे माल) का वैर में उत्पादन / विक्रय / परिवहन का प्राधिकार पत्र नहीं होने के कारण उपलब्ध माल Jai K Asardar Organic Soil Composed Granules कार्बनिक खाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं एफसीओ 1985 का उल्लंधन होने के कारण पुलिस की मौजूदगी में जब्त किया गया । अप्रार्थीयों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं FCO 1985 की धारा 2(एच), 8 एव 19 (C)(II)(v)(vI) का उलघंन किया गया है। मौके पर जप्त किये गये Multi Micronutrient Mixture whith 100% EDTA Chilation 42 थैलियॉ , एवं Jai K Asardar Organic Soil Composed Granules कार्बनिक खाद 395 कटटे उर्वरक नियन्ण आदेश 1985 की अनुसूची में वर्णित नहीं होने से उर्वरक की श्रेणी में नहीं आते हैं इसलिए इन्हें उर्वरक के रुप में उपयोग एवं भण्डारण नहीं किया जा सकता है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत जब्तशुदा उर्वरक को राजसात कर नष्ट किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश कुमार वगे. का दिनांक 13.3.2019 को वकालतनामा पेश हुआ, जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी0 या उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थी पैरोकार की एकतरफा में बहस सुनी गई।

पैरोकार प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तारीख 20.9.2022 में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि जप्त उर्वरक की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला भरतपुर से प्राप्त हो गई है, जिसमें जप्त उर्वरक 1ए – J K Asardar Organic Soil Composed Granules कार्बनिक खाद 395 कटटे को अमानक पाया गया है, जो खेती के उपयोग का नहीं है इसका विकय भी नहीं किया जा सकता है, इसे नष्ट कराये जाने के आदेश दिये जावें एवं संख्या 1बी– Multi Micronutrient Mixture whith 100% EDTA Chilation 42 थैलियॉ मानक पाया गया है को राजसात किया जाकर निस्तारण कराया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने दिनांक 04.10.2018 को धारा 6ए ईसी एक्ट के तहत अप्रार्थीयों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं FCO 1985 की धारा 2(एच), 8 एव 19 (C)(II)(v)(vI) का उलघंन किया गया है। मौके पर जप्त

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

किये गये Multi Micronutrient Mixture whith 100% EDTA Chilation 42 थैलियॉ , एवं Jai K Asardar Organic Soil Composed Granules कार्बनिक खाद 395 कटटे उर्वरक के जप्त किये गये हैं।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.9.2022 को पेश प्रार्थना एवं उसके साथ प्रस्तुत राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला भरतपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या 993–98 दिनांक 24.12. 2018 का अवलोकन किया गया, जिसमें जप्त उर्वरक 1(ए) – J K Asardar Organic Soil Composed Granules कार्बनिक खाद 395 कटटे प्रत्येक 50किग्रा. को अमानक (The sample is not according to specification) पाया गया है तथा 1(बी) Multi Micronutrient Mixture whith 100% EDTA Chilation 42 थैलियॉ प्रति 1किग्रा को मानक (The sample is according to specification and fails in none) पाया गया है।

ऐसी स्थिति में जप्त उर्वरक 1(ए) – J K Asardar Organic Soil Composed Granules कार्बनिक खाद 395 कटटे प्रत्येक 50किग्रा. जो मुताविक रिपोर्ट अमानक उर्वरक है जो कृषि की उपयोग की नही है तथा बाजार में विक्रय भी नहीं की जा सकता है को राजसात कर नियमानुसार नष्ट कराया जाना उचित पाते हैं।

तथा 1(बी) Multi Micronutrient Mixture whith 100% EDTA Chilation 42 थैलियॉ प्रति 1किग्रा जो मानक (The sample is according to specification and fails in none) पाया गया है को राजसात किया जाकर कीमतन विक्रय कराया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। जप्त उर्वरक 1(ए) – J K Asardar Organic Soil Composed Granules कार्बनिक खाद 395 कटटे प्रत्येक 50किग्रा जो अमानक है को राजसात किया जाकर निदेशक कृषि विभाग भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि व उक्त अमानक उर्वरक को नियमानुसार नष्ट कराकर निस्तारण करावें तथा 1(बी) Multi Micronutrient Mixture whith 100% EDTA Chilation 42 थैलियॉ (प्रति 1किग्रा) जो मानक है को क्रय विक्रय के माध्यम से किसानों को विक्रय कराया जावे, विक्रय से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराया जावे। निर्णय की प्रति निदेशक, कृषि विभाग भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 सुनाया गया।

(अलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर